आई. एस. तिवाना और जी.आर. मजीठिया, जे.जे.के समक्ष

राजिंदर गिल (एमएस), प्रिंसिपल, याचिकाकर्ता,

बनाम

देव समाज परिषद सोसायटी और अन्य,-प्रतिवादी।

1985 की संशोधित सिविल रिट याचिका संख्या 99।

13 सितंबर 1990.

परिसीमा अधिनियम 1963—एस. 14-पंजाब संबद्ध कॉलेज (कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 1974-एस.एस. 3 और 4- प्रिंसिपल के इस्तीफा को धारा 3&4 के तहत उनके द्वारा को चुनौती दी गई। -क्षेत्राधिकार-निदेशक का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है - सीमा - मुकदमेबाजी में बिताया गया समय इसमें शामिल नहीं है।

निर्धारित किया गया , कि निदेशक के समक्ष और उसके समक्ष कार्यवाही अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पूरी तरह से अधिनियम के दायरे से बाहर थे और उन्हें उस आधार पर मामले को खारिज कर देना चाहिए था या निर्देश देना चाहिए था याचिकाकर्ता सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के माध्यम से अपनी राहत की मांग करे। देखें 1980(3) एसएलआर 527 (डी.ए.वी. कॉलेज प्रबंध समिति बनाम अतिरिक्त)।जिला न्यायाधीश, होशियारपुर और अन्य)। यहां तक कि श्री वी.के. बाली ने भी सीखा प्रतिवादी के वरिष्ठ वकील के पास इसके विपरीत कहने के लिए कुछ नहीं है जहां तक मामले के इस पहलू का सवाल है। इसलिए, हम हैं दृढ़ राय है कि कार्यवाही निदेशक और से संबंधित है अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से रहित थे अधिनियम के प्रावधान इस मामले के तथ्यों से बिल्कुल भी आकर्षित नहीं थे।

(पैरा 5)

माना गया कि इसके तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुएपरिसीमा अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अंतर्निहित मामला और नीति जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सीमा की सीमा से सुरक्षा प्रदान करना है जो ईमानदारी से अपने मामले को गुण-दोष के आधार पर चलाने की पूरी कोशिश कर रहा है,लेकिन किसी तरह अदालत उसे मुकदमा चलाने या राहत देने में असमर्थ है दावा किया गया, हमें लगता है कि यह विवेकाधिकार प्रदान करना बेहद वांछनीय है याचिकाकर्ता को राहत. इस प्रकार,

यह निर्देशित किया जाता है कि याचिकाकर्ता के मामले में, प्रतिवादियों की कार्रवाई पर आपत्ति जताने के लिए सिविल कोर्ट में जाने का विकल्प चुना, वह समय जो उसने जिला न्यायाधीश और इस न्यायालय के समक्ष मुकदमेबाजी में बिताया उस मुकदमे में सीमा का प्रश्न निर्धारण करते समय बाहर रखा जाएगा।

(पैरा 6)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत सिविल रिट याचिका प्रार्थना कर रहा है कि:-

(i) मामले का पूरा रिकॉर्ड तलब किया जाए;

(ii) दिनांकित आदेश को रद्द करने वाली सर्टिओरारी प्रकृति की एक रिट12 दिसंबर, 1984 प्रतिवादी क्रमांक 3 का परिशिष्ट पी/12, निर्गत कीजिए;

(iii) आगे यह प्रार्थना की जाती है कि रिट के लंबित रहने के दौरान याचिका, आक्षेपित आदेश का क्रियान्वयन, अनुलग्नकपी/12. रुका रहना;

(iv) याचिका की लागत भी प्रदान की जाएगी;

(v) अनुबंधों की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने के संबंध में शर्त त्याग दिया जाए;

(vi) रिट की अग्रिम सूचना की तामील के संबंध में शर्तयाचिका को खारिज किया जाए।

राजीव विज के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद स्वरूप वकील, याचिकाकर्ता के लिए

प्रतिवादियों की ओर से वी.के. बाली, वरिष्ठ अधिवक्ता और रवि कपूर, अधिवक्ता नंबर 1& 2.

निर्णय

आई. एस. तिवाना, जे.

(1) याचिकाकर्ता जो शुरू में एक व्याख्याता के रूप में थादेव समाज कॉलेज ऑफ एजुकेशन, फ़िरोज़पुर जो प्रतिवादी चलातावथा में नियुक्त किया गया था। बाद में सोसाइटी का चयन किया गया और उन्हें वर्ष 1981 में ,अनुबंध P/1 के अनुसार . देव समाज कॉलेज ऑफ एजुकेशन, का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। उनके पक्ष के अनुसार, उनके चयन से पहले, श्री. निर्मल सिंह ढिल्लों, प्रबंध समिति के अध्यक्ष ने (प्रतिवादी संख्या 2) उनसे दो हस्ताक्षरित कोरे कागज प्रबंधन के पास जमा कराने को कहा। याचिकाकर्ता ने उक्त अनुरोध का अनुपालन किया और उसे दो कोरे हस्ताक्षरित कागज़ दिए। जाहिर तौर पर ऐसा उसे प्रबंधन के अंगूठे के नीचे रखने के लिए और प्रबंधन की इच्छानुसार कॉलेज के प्राचार्य के रूप में कार्यकाल को छोटा करने के लिए किया गया था । वह आगे कहती हैं कि प्रिंसिपल के रूप

में उनके शामिल होने के तुरंत बाद, श्री निर्मल सिंह ढिल्लों और उनके ससुर श्री इकबाल सिंह, जो फू प्रबंध समिति के सदस्य थे ने उसे देव समाज धार्मिक व्यवस्था में परिवर्तित करने के लिएउन्होंने समझाने का प्रयास किया । हालाँकि,उसने उनके अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थता व्यक्त की। अंत में, निर्मल सिंह ढिल्लों ने धमकी दी कि यदि वह प्राचार्य पद पर बने रहने या बने रहने की जिद करती हैं वह उक्त हस्ताक्षर किए गए खाली कागजों का इस्तेमाल उसे "बदनाम करने, अपमानित करने और नुकसान पहुंचाने" के लिए करेंगे । चूँकि याचिकाकर्ता इस धमकी को सहन नहीं कर सकी, इसलिए उसने ऐसा करना छोड़ दिया दबाव के चलते उन्होंने अप्रैल 1983 में उस नौकरी से इस्तीफा दे दिया।इस त्याग पत्र की प्रति संलग्नक पी/3 है। वैसा ही था 23 अप्रैल 1983 को प्रबंध समिति के अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया गया और इस स्वीकृति पत्र की प्रति संलग्नक 'पी/4' है। 25 अप्रैल 1983 को लिखे अपने पत्र में याचिकाकर्ता ने सभापति से दो खाली हस्ताक्षरित कागजात वापस करने के लिए, अनुरोध किया। इस पत्र की प्रति अनुलग्नक पी/5 है। हालाँकि, उक्त दोनों कागजात वापस करने से पहले, प्रबंधन ने उसे यह दिखाने के लिए कि उनके द्वारा दिया गया इस्तीफा स्वैच्छिक थाएक और पत्र लिखने के लिए कहा । इस पत्र की प्रति अनुलग्नक पी/6 है। अंततः, दोनों कागजात उसे निर्मल सिंह ढिल्लों के कवरिंग नोट के साथ वापस कर दिये गये वही अनुलग्नक पी/7 है। इसके भौतिक भाग में लिखा है "दो आपके द्वारा हस्ताक्षरित कागजात अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे इसके साथ वापस किए जाते है ।

2) 31 मई, 1983 को याचिकाकर्ता ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के सार्वजनिक निर्देश (कॉलेज) निदेशक से संपर्क किया। उसके अनुसार पंजाब संबद्ध कॉलेज (कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 1974 (इसके बाद संदर्भित अधिनियम) की धारा 4(3) के तहत जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक- 21 जुलाई, 1978 की अधिसूचना के माध्यम से विस्तारित है, इस अनुरोध के साथ कि प्रश्न में इस्तीफा उनका स्वैच्छिक नहीं था और उसे सेवा से हटा दिया गया, जो स्पष्ट रूप से अधिनियम के प्रावधानों, यानी धारा 3 का अनुपालन किए बिना किया गया था।उन्होंने निदेशक से अपनी बहाली का भी अनुरोध किया. उस आवेदन की प्रति याचिका के अनुलग्नक पी/8 में है। कॉलेज प्रबंधन को उचित नोटिस देने के बाद निदेशक ने 14 फरवरी 1984 के अपने आदेश के तहत याचिकाकर्ता की याचिका स्वीकार कर ली और उसकी सेवाओं की समाप्ति को अवैध मानते हुए निर्देश दिया कि उसे देव समाज कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चंडीगढ़ के प्रिंसिपल का पद धारण करने वाला माना जाएगा। उनके आदेश की प्रति याचिका के अनुलग्नक P/ll में है। देव समाज काउंसिल सोसाइटी (प्रतिवादी संख्या 1) और कॉलेज की प्रबंध समिति (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा की गई अपील पर, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ ने निदेशक के उस आदेश को बरकरार रखा और निष्कर्ष निकाला (i) निदेशक के समक्ष याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व समय से वर्जित था; ii) चूंकि यह सेवा से बर्खास्तगी या निष्कासन का मामला नहीं था और

नौकरी से इस्तीफा देने का एक शुद्ध और सरल मामला था, इसलिए अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता था और (iii) निदेशक का आदेश पूरी तरह से बिना था क्षेत्राधिकार। उन्होंने इसे भी नकार दिया याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने धमकी या दबाव में इस्तीफा दिया है। यह अतिरिक्त जिला न्यायाधीश का आदेश है, जो अब हमारे सामने विवादित है।

3) प्रारंभिक चरण में, याचिकाकर्ता की ओर से एक विवाद उठाया गया था कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (4) के तहत अपील पर निर्णय लेने में सक्षम नहीं थे, लेकिन इसे इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने, 28 फरवरी 1989 के अपने निर्णय द्वारा दृढ़ता से तय किया। अब, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री आनंद स्वरूप की चुनौती दो गुना है, (i) निदेशक द्वारा दर्ज किए गए निर्णायक निष्कर्ष को खारिज करने के लिए विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पास कोई औचित्य नहीं था कि याचिकाकर्ता पर दबाव बनाया गया था या धमकी के तहत इस्तीफा प्रस्तुत करना और यह स्वैच्छिक नहीं था; (ii) गैर-सरकारी संबद्ध कॉलेजों में शिक्षकों की सेवा और आचरण की शर्तों को नियंत्रित करने वाले पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर, खंड 1, 1981 के क़ानून 11(1) के मद्देनजर विचाराधीन इस्तीफा वैध नहीं था, जिसमें लिखा है, "एक स्थायी शिक्षक किसी भी समय शासी निकाय को तीन महीने का लिखित नोटिस या उसके बदले में तीन महीने का वेतन देकर अपना जोड़ समाप्त कर सकता है।

4) पूरे मामले पर गहन विचार करने के बाद, हमारी राय है कि श्री आनंद स्वरूप की उपरोक्त दलीलें स्वीकार करने योग्य नहीं हैं। जहां तक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्षों की चुनौती का सवाल है, हम संभवतः सबूतों का पुनर्मूल्यांकन करने और योग्यता के आधार पर हमारे निष्कर्ष को दर्ज करने के लिए अपील न्यायालय के रूप में नहीं बैठ सकते हैं। कुछ इसी तरह की स्थिति में, सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य ने खुद को पी. कासिलिंगम बनाम पी.एस.जी. प्रौद्योगिकी महाविद्यालय (1)में व्यक्त किया इस प्रकार है:

> "यह बिना किसी संदेह के स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने कला के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। संविधान के अनुच्छेद 226 में विवाद के गुण-दोषों पर गौर करते हुए तथ्यों की जांच शुरू की गई कि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत त्याग पत्र स्वैच्छिक था या नहीं। इस मुद्दे पर सवाल यह है कि क्या इस्तीफा स्वैच्छिक था, यह अन्य तथ्यों से अनुमान लगाने का विषय है। इसमें शामिल प्रश्न मूलतः तथ्यात्मक था। यदि यह सवाल नहीं उठाया जा सकता है कि सरकार के पास निस्संदेह उसके समक्ष मौजूद सामग्री पर अपना

(1) ए.आई.आर. 1981 एस.सी. 789

> निष्कर्ष निकालने का अधिकार क्षेत्र था। रिट याचिका ने स्वयं को अपील की अदालत में बदल दिया और सरकार द्वारा पहुंचाए गए निष्कर्ष की शुद्धता की जांच की और निर्णय लिया कि क्या उचित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए या क्या आदेश दिया जाना चाहिए।"

इसलिए, हम संभवतः अपीलीय न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए तथ्यात्मक निष्कर्षों के गुण-दोष पर नहीं जा सकते।

5) जहाँ तक श्री आनंद स्वरूप के दूसरे तर्क का प्रश्न है , हमने पाया कि याचिकाकर्ता द्वारा ना तो इस याचिका में ना पहले निदेशक या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष ऐसी कोई दलील नहीं दी गई है। इसलिए, हमें इस बाद के चरण में मामले के इस पहलू की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा तब और अधिक होता है जब यह याचिकाकर्ता का स्वीकृत मामला जिसको श्री निर्मल सिंह ढिल्लों द्वारा इस्तीफे की स्वीकृति (अनुलग्नक पी/4) को वाद में गवर्निंग बॉडी यानी देव समाज काउंसिल सोसायटी के समक्ष रखा गया (प्रतिवादी संख्या (1) और उक्त निकाय द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसलिए, इस मुद्दे पर हमें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है. हालाँकि, हमें लगता है कि याचिकाकर्ता इस आधार पर सफल होने का हकदार है कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अनुबंध पी/12 का विवादित आदेश उसी कारण से अधिकार क्षेत्र के बिना है, जिसके लिए उसने निदेशक के आदेश को अधिकार क्षेत्र के बिना माना है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि अधिनियम केवल उस मामले को नियंत्रित करता है जहां कॉलेज के किसी कर्मचारी की सेवाएं बर्खास्तगी या सेवा से हटाने के माध्यम से समाप्त कर दी जाती हैं और उन पर लगे आरोपों की जानकारी देने के बाद इसे बिना किसी जांच के और उचित अवसर प्रदान किए किया जाता है। यह अधिनियम की धारा 3 और 4 को संयुक्त रूप से पढ़ने से बहुत स्पष्ट है। इसलिए, जैसे ही अतिरिक्त जिला न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनके सामने मामला न तो बर्खास्तगी का था और न ही सेवा से हटाने का, बल्कि यह सेवा से इस्तीफा देने का मामला था, जैसा कि उनके अनुसार था, उनके पास राय देने के लिए और कुछ नहीं था। उस निष्कर्ष के आलोक में, निदेशक और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही पूरी तरह से अधिनियम के दायरे से बाहर थी और उन्हें इस आधार पर मामले को खारिज कर देना चाहिए था या याचिकाकर्ता को अदालत के माध्यम से राहत पाने का निर्देश देना चाहिए था। देखें (डी.ए.वी. कॉलेज प्रबंध समिति बनाम मिल. जिला न्यायाधीश, होशियारपुर और अन्य (2)। प्रतिवादी के लिए वरिष्ठ वकील श्री वी.के. डैन के पास मामले के इस पहलू के विपरीत कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए हमारी यह दृढ़ राय है कि निदेशक और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना थी, क्योंकि अधिनियम के प्रावधान इस मामले के तथ्यों से बिल्कुल भी आकर्षित नहीं थे। इसलिए, उक्त दो आदेश अनुलग्नक

(2) 1980 (3) एस.एल.आर. 527

पी/11 निदेशक लोक निर्देश (कॉलेज केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़) द्वारा पारित किए गए अनुलग्नक पी/12 को रद्द कर दिया गया है।

6) इस स्तर पर, श्री याचिकाकर्ता के विद्वान वकील आनंद स्वरूप द्वारा एक मौखिक अनुरोध किया जाता उसने कहा कि याचिकाकर्ता उत्तरदाताओं की कार्रवाई के खिलाफ सिविल कोर्ट के माध्यम से अपना उपचार मांगना चाहेगी और उक्त कार्रवाई को चुनौती देने में देरी का सवाल धारा 14 के आलोक में माफ किया जाना चाहिए। प्रस्तुतीकरण योग्यता से रहित नहीं प्रतीत होता है। इसलिए, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और परिसीमा अधिनियम की धारा 14 के तहत अंतर्निहित नीति को ध्यान में रखते हुए, उस व्यक्ति को परिसीमा की सीमा के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है जो ईमानदारी से अपने मामले की सुनवाई के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा है। योग्यता, लेकिन किसी तरह अदालत उसे मुकदमा चलाने या दावा की गई राहत देने में असमर्थ है, हमें लगता है कि याचिकाकर्ता को यह विवेकाधीन राहत देना बेहद वांछनीय है। इस प्रकार, यह निर्देश दिया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता उत्तरदाताओं की कार्रवाई पर आपत्ति जताने के लिए सिविल कोर्ट में जाने का विकल्प चुनती है, तो जिला/अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और इस न्यायालय के समक्ष मुकदमेबाजी में बिताए गए समय को उस सूट में.सीमा के प्रश्न का निर्धारण करते समय बाहर रखा जाएगा।

7) उपरोक्त कारणों से इस याचिका का निपटान किया जाता है जैसा कि संकेत दिया गया हैऊपर, लेकिन लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सुखवीर कौर
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
हिसार, हरियाणा